

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ
e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या- ३७६ /०२ / OM&M Cell/2021-22

दिनांक: २८ जून, 2022

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।
2. सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
3. निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ।
4. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—५४८३/नौ—५—२०१७— ४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सेटेलमेंट की संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या—५०४/नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा—वार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष जल निगम से प्राप्त प्रमाणित बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक २२.०६.२०२२ को अपराह्न १२:३० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में आहूत की गयी थी। अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित आहूत बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28.06.22

सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि—

१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० लखनऊ।
३. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/गाजियाबाद/आगरा/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम।
४. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
५. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा एवं गाजियाबाद।
६. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या एवं गाजियाबाद एवं अन्य संबंधित शहर।
७. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।
८. सम्बन्धित फर्म।

सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

संख्या : ३७६/०२/०८१८ (११) /२०२१-२२
दिनांक : २८ जून, २०२२

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्क्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 22.06.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्क्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९/नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९/नौ-९-१९-८९ज/२००१ दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु० २५०.०० करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८/नौ-९-२०-८९ज/२००१, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरेक्षित बजट रु० ३५०.०० करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४/नौ-५-२०२०-३९४सा/२०१८ दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की हैं।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2022 को अपराह्न 12:३० बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

अधिशासी अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सदस्य-सचिव कोरोना से ग्रसित होने के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके हैं एवं समिति से अनुरोध किया गया कि बैठक का संचालन हेतु अधिशासी अभियन्ता एवम् श्री संजय कुमार सिंह, कन्सल्टेन्ट, ओ०एम०एण्ड एम० सेल को अनुमति देना चाहें। समिति द्वारा संज्ञान लिया गया एवम् कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये:-

एजेन्डा (i) दिनांक 07.03.2022 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों पर अनुपालन आख्या।

कार्यवाही:- कोई परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (ii) मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-२८५/म०अभि० (ल०क्ष०) कार्य-४५/६८ दिनांक 12.04.2022, पत्र संख्या-५०७/म०अभि०(ल०क्ष०) कार्य-४५/११५ दिनांक 09.06.2022 एवम् पत्र संख्या-५५५/म०अभि० (ल०क्ष०) कार्य-४५/११७ दिनांक 18.06.2022 द्वारा माह फरवरी-२०२२, मार्च-२०२२ व अप्रैल-२०२२ हेतु फर्म - मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा

1.

नहा शर्मा)
निदेशक

गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या
1	25 th Payment Certificate / Bill- November, 2021	रु० 92,03,075.00 (फर्म को भुगतान रु० 8019308.00 + जीएसटी रु० 962317.00 + डीजल रु० 221450.00)	----
2	28 th Payment Certificate / Bill- Feburary, 2022	रु० 89,91,506.00 (फर्म को भुगतान रु० 78,79,472.00 + जीएसटी रु० 945537.00 + डीजल रु० 166497.00)	रु० 29,66,575.75 (फर्म को भुगतान रु० 26,53,060.00 + जीएसटी रु० 2,84,256.00+ डीजल रु० 29259.75)
3	29 th Payment Certificate / Bill- March, 2022	रु० 71,49,536.00 (फर्म को भुगतान रु० 62,87,907.00 + जीएसटी रु० 7,54,549.00 + डीजल रु० 1,07,080.00)	रु० 29,72,508.00 (फर्म को भुगतान रु० 26,53,060.00 + जीएसटी रु० 2,84,256.00 + डीजल रु० 35192.00)
4	30 th Payment Certificate / Bill- April, 2022	रु० 70,44,214.00 (फर्म को भुगतान रु० 6202888.00 + जीएसटी रु० 7,44,346.00 + डीजल रु० 96980.00)	रु० 29,80,766.00 (फर्म को भुगतान रु० 26,53,060.00 + जीएसटी रु० 2,84,256.00 + डीजल रु० 43450.00)

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा गोरखपुर नगर में स्थित 30 व 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह फरवरी-2022, मार्च-2022 व अप्रैल-2022 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज- 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि माह नवम्बर-2021 के 30 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० गोरखपुर के बिलों की गणना में 26 नवम्बर-2021 को थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट की टंकण त्रुटि के कारण रु० 101266.67 (जी०एस०टी० व सेन्टेज सहित) की ज्यादा कटौती कर ली गयी थी जिसे ठीक कर लिया गया है।

गोरखपुर जोन में स्थित कुल 3 नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज के माह नवम्बर-2021 (संशोधित), फरवरी-2022, मार्च-2022 व अप्रैल-2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर-टी०एस०-1 बार, FC-31 बार
 - 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, अयोध्या-, FC-7 बार
- गोरखपुर जोन के 3 नग एस०टी०पी० के क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् है:-

(माइक्रोफोन कार्ड)

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती
1	2	3
गोरखपुर जोन		
नवम्बर-2021 (संशोधित)	1,20,70,725.00	-
फरवरी-2022	1,19,58,081.70	0.00
मार्च-2022	1,01,22,044.00	70000.00
अप्रैल-2022	1,00,24,980.00	310000.00
योग	4,41,75,830.700	3,80,000.000

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 के अनुसार फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष ₹0 7.00 करोड़ की धनराशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन (संचयी आधार पर) के उपरान्त जमा की जानी अपेक्षित है। मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्रा0लि0 को भुगतान की गयी धनराशि माह अप्रैल-2022 तक प्रेषित बिलों के सापेक्ष एस्क्रो एकाउन्ट में ब्याज सहित ₹0 16,40,87,103.22 (₹0 सोलह करोड़ चालीस लाख सतासी हजार एक सौ तीन व पैसे बाईस मात्र) जमा किया जाना था जिसके सापेक्ष फर्म ने ₹0 12,60,92,517.14 (₹0 बारह करोड़ साठ लाख बानवे हजार पाँच सौ सत्रह व पैसे चौदह मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में ₹0 3,79,94,865.86 (₹0 तीन करोड़ उन्यासी लाख चौरानवे हजार आठ सौ पैसठ व पैसे छियासी मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त माह नवम्बर-2021 (संशोधित), फरवरी-2022, मार्च-2022 व अप्रैल-2022 के बिलों के गणना के उपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने वाली धनराशि की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	विवरण	25 th Payment Certificate / Bill- November, 2021 (Correction in Bills due to typing error)	28 th Payment Certificate / Bill- February, 2022	29 th Payment Certificate / Bill- March, 2022	30 th Payment Certificate / Bill- April, 2022
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	83005.47	9579487.37	7681979.60	7521071.51
2	जी0एस0टी0 (12 प्रतिशत)	9960.66	1149538.48	957948.74	166497.00
3	फ्यूल चर्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	166497.00	142272.00	96980.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजनचार्जेस (10%)	8300.55	957948.74	768197.96	752107.15
5	योग (1+2+3+4)	1,01,266.68	1,18,53,471.59	95,14,287.11	92,72,687.24
6	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	Rs. 2,14,69,025.38 (including GST Rs. 2081336.69, Fuel Rs. 308769.00 & Centage Rs. 1734447.24)			
7	मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि	Rs. 3,79,94,586.08			
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	Rs. 1,76,53,241.44			
9	अवशेष धनराशि जिस हेतु प्र०नि0 द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है	Rs. 2,03,41,344.64			

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष ₹0 2,14,69,025.38 (₹0 दो करोड़ चौदह लाख उन्हतर हजार पच्चीस व पैसे अड्डीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा

X

5

3

Ar BY DR

स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 3,79,94,586.08 में से रु0 1,76,53,241.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 2,03,41,344.64 ($\text{रु0 } 3,79,94,586.08 - 1,76,53,241.44 = \text{रु0 } 2,03,41,344.64$) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः— ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 2,14,69,025.38 (रु0 दो करोड़ चौदह लाख उन्हतर हजार पच्चीस व पैसे अडीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 3,79,94,586.08 में से रु0 1,76,53,241.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 2,03,41,344.64 ($\text{रु0 } 3,79,94,586.08 - 1,76,53,241.44 = \text{रु0 } 2,03,41,344.64$) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सहमति दी गयी।

(कार्यवाही—ओ0एम0एण्ड एम0 सेल / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम—नगरीय)

एजेन्डा (iii) मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या-473/47 दिनांक 04.03.2022, पत्र संख्या-1164/47 दिनांक 23.05.2022 एवं पत्र संख्या 1400/47 दिनांक 09.06.2022 द्वारा क्रमशः माह फरवरी-2022, मार्च-2021, अप्रैल-2022 व मई-2022 हेतु फर्म – M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	27 th Payment Certificate / Bill -February, 2022	रु0 3,08,21,963.39 (फर्म को भुगतान रु0 2,52,63,904.42 + जी0एस0टी0 रु0 30,31,668.53 + 10% सेन्टेज रु0 25,26,390.44)
2	28 th Payment Certificate / Bill -March, 2022	रु0 3,10,57,906.99 (फर्म को भुगतान रु0 2,54,57,300.81 + जी0एस0टी0 रु0 30,54,876.10 + 10% सेन्टेज रु0 25,45,730.08)
3	29 th Payment Certificate / Bill -April, 2022	रु0 2,63,39,691.03 (फर्म को भुगतान रु0 2,15,89,910.68 + जी0एस0टी0 रु0 25,90,789.28 + 10% सेन्टेज रु0 21,58,991.07)
4	30 th Payment Certificate / Bill -May, 2022	रु0 3,59,91,315.52 (फर्म को भुगतान रु0 2,88,55,205.16 + जी0एस0टी0 रु0 34,62,624.62 + 10% सेन्टेज रु0 28,85,520.52 + डीजल रु0 7,87,965.22)

मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा माह फरवरी-2022, मार्च-2021, अप्रैल-2022 व मई-2022 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की वलाज-39 सेक्शन -IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् हैः—

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

आगरा जोन में स्थित कुल 7 नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज माह फरवरी—2022, मार्च—2021, अप्रैल—2022 व मई—2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 78 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, धांधूपुरा — बी०ओ०डी०—1 बार, टी०एस०एस०—1 बार
- 10 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, पिलाखार — टी०एस०एस०—1 बार
- 2.25 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बुढ़ी का नगला — बी०ओ०डी०—1 बार, टी०एस०एस०—1 बार
- 24 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, धांधूपुरा — बी०ओ०डी०—23 बार, टी०एस०एस०—बार 23 बार

आगरा जोन के 7 नग एस०टी०पी० में क्वालिटी एवं क्वांटिटी सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैः—

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	3
			1 2
आगरा जोन			
फरवरी—2022	3,08,21,963.39	20000.00	
मार्च—2022	3,10,57,906.99	0.00	
अप्रैल—2022	2,63,39,691.03	431000.00	
मई—2022	3,59,91,315.52	370000.00	
योग	12,42,10,876.93	8,21,000.00	

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर—2.8 अनुसार फर्म को एस्को एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा दिसम्बर—2019 से मई—2022 तक की व्याज सहित वांछित धनराशि रु० 17,92,32,377.35 (रु० सत्रह करोड़ बानवे लाख बत्तीस हजार तीन सौ सतहत्तर व पैसे पैंतीस मात्र) जिसके सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० 15,32,40,725.81 (रु० पंद्रह करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार सात सौ पच्चीस व पैसे इक्यासी मात्र) जमा किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष रु० 2,59,91,651.55 (रु० दो करोड़ उनसठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ इक्यावन व पैसे पचपन मात्र) फर्म द्वारा एस्को एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त माह फरवरी—2022, मार्च—2021, अप्रैल—2022 व मई—2022 के बिलों के गणना के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती हैः—

क्र.स.	विवरण	27 th Payment Certificate / Bill - February, 2022	28 th Payment Certificate / Bill - March, 2022	29 th Payment Certificate / Bill - April, 2022	30 th Payment Certificate / Bill - May, 2022
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	11020135.58	24302439.78	22056408.85	27582127.66
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	1322416.27	2916292.77	2646769.06	3309855.32
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	787965.22
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 %)	1102013.56	2430243.98	2205640.89	2758212.77
5	योग (1+2+3+4)	1,34,44,565.41	2,96,48,976.53	2,69,08,818.80	3,44,38,160.97

7

5

✓ BK

क्र.सं.	विवरण	27 th Payment Certificate / Bill - February, 2022	28 th Payment Certificate / Bill - March, 2022	29 th Payment Certificate / Bill - April, 2022	30 th Payment Certificate / Bill - May, 2022
6	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			Rs. 10,44,40,521.70 (including GST Rs. 10195333.42, Fuel Rs. 787965.22 & Centage Rs. 849611.19)	
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			Rs. 2,59,91,651.55	

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 10,44,40,521.70 (रु0 दस करोड़ चौबालीस लाख चालीस हजार पाँच इक्कीस व पैसे सत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,59,91,651.55 (रु0 दो करोड़ उनसठ लाख इक्यावन्वे हजार छ: सौ इक्यावन व पैसे पचपन मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 10,44,40,521.70 (रु0 दस करोड़ चौबालीस लाख चालीस हजार पाँच इक्कीस व पैसे सत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,59,91,651.55 (रु0 दो करोड़ उनसठ लाख इक्यावन्वे हजार छ: सौ इक्यावन व पैसे पचपन मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही-ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल / उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (iv) मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या- संख्या-612/वन ऑपरेटर वन सिटी दिनांक 26.02.2022, पत्र संख्या-1461/भुगतान दिनांक 13.05.2022, पत्र संख्या-1460/भुगतान दिनांक 13.05.2022 एवं पत्र संख्या-1856/वन ऑपरेटर वन सिटी दिनांक 14.06.2022 द्वारा माह जनवरी-2022, फरवरी-2022, मार्च-2022 एवं अप्रैल-2022 हेतु फर्म मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रूपये में)
गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)		
1	26 th Payment Certificate /Bill- January, 2022	रु0 6,99,50,460.59 (फर्म को भुगतान रु0 5,68,36,208.68 + जीएसटी रु0 68,20,345.04 + डीजल रु0 6,10,286.00 + 10% सेन्टेज रु0 56,83,620.87)
2	27 th Payment Certificate /Bill- February, 2022	रु0 7,76,72,375.92 (फर्म को भुगतान रु0 6,32,387,47.47 + जीएसटी रु0 75,88,649.70 + डीजल .रु0 52,11,04.00 + 10% सेन्टेज रु0 63,23,874.75)
3	28 th Payment Certificate /Bill- March, 2022	रु0 8,60,12,168.76 (फर्म को भुगतान रु0 6,97,89,598.62 + जीएसटी रु0 83,74,751.83 + डीजल रु0 8,68,858.45 + 10% सेन्टेज रु0 69,78,959.86)

4	29 th Payment Certificate /Bill- April, 2022	रु0 8,73,86,567.87 (फर्म को भुगतान रु0 7,09,66,430.51 + जीएसटी रु0 85,15,971.66 + डीजल रु0 8,07,522.65 + 10% सेन्टेज रु0 70,96,643.05)
---	--	---

मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा माह जनवरी-2022 (अवशेष), फरवरी-2022, मार्च-2022 एवं अप्रैल-2022 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वालिटी की गणना की गयी है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

गाजियाबाद जोन में स्थित कुल 15 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज जनवरी-2022 (अवशेष), फरवरी-2022, मार्च-2022 एवं अप्रैल-2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम— टी0एस0एस0—1 बार, FC-120 बार
- 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम — सी0ओ0डी0—3 बार, FC-89 बार
- 70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, ढूँडाहेड़ा — बी0ओ0डी0—01, सी0ओ0डी0—6 बार FC-120 बार
- 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, ढूँडाहेड़ा — बी0ओ0डी0—08, टी0एस0एस0—10 बार, FC-62 बार
- 3 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलखुआ — FC- 41 बार
- 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, लोनी — टी0एस0एस0—11, बार FC-19 बार
- 72 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मेरठ — बी0ओ0डी0—01, टी0एस0एस0—10 बार, FC-10 बार
- 32.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मुजफ्फरनगर—बी0ओ0डी0—01, सी0ओ0डी0—60 बार, टी0एस0एस0—1, बार, FC- 120 बार
- 0.81 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर— बी0ओ0डी0—02, सी0ओ0डी0—61 बार, टी0एस0एस0—38 बार, FC-92 बार
- 1.76 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर — सी0ओ0डी0—37 बार, टी0एस0एस0—13 बार, FC-120 बार
- 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर — टी0एस0एस0—1 बार
- 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर — सी0ओ0डी0—1 बार, FC-1 बार
- 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिजनौर — टी0एस0एस0—5 बार, FC-1 बार

गाजियाबाद जोन के 15 एस0टी0पी0 के क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती
1	2	3
गाजियाबाद जोन		
जनवरी-2022 (Balance Payment)	6,99,50,460.59	4098000.00
फरवरी-2022	7,76,72,375.92	3358000.00
मार्च-2022	8,60,12,168.76	3062000.00
अप्रैल-2022	8,73,86,567.87	3593000.00
योग	32,10,21,573.14	1,41,11,000.00

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

7

एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा दिसम्बर-2019 से अप्रैल-2022 तक व्याज सहित वांछित धनराशि ₹0 17,29,31,283.60 (₹0 सत्रह करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार चार सौ पचहत्तर व पैसे इक्यासी मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र ₹0 15,30,82,661.29 (₹0 पंद्रह करोड़ तीस लाख बयासी हजार छ: सौ इक्सठ व पैसे उनतीस मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में ₹0 1,98,48,622.31 (₹0 एक करोड़ अठानवे लाख अडतालीस हजार छ: सौ बाईस व पैसे इकतीस मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउंट में जमा किया जाना अवशेष है।

फर्म द्वारा अनुरोध किया गया कि माह मई-2022 का बिल जो ओ०एम०एण्ड एम० सेल को दिनांक 20.06.2022 उपलब्ध करा दिया गया है, का भुगतान अनुबंध के सेक्शन-VI कलॉज-6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाए।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. स.	विवरण	26 th Payment Certificate/Bill- January 2022 (Rs.) (Balance Amount)	27 th Payment Certificate /Bill- February, 2022	28 th Payment Certificate /Bill- March, 2022	29 th Payment Certificate /Bill- April, 2022	30 th Payment Certificate/Bill- May, 2022 (Adhoc Payment)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	17506658.68	61313281.14	64952804.33	70233224.69	41876279.38
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	2100799.04	7357593.74	7794336.52	8427986.96	5025153.53
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	521104.00	868858.45	807522.65	914354.70
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	1750665.86	6131328.11	6495280.43	7023322.47	4187627.94
5-	योग (1+2+3+4)	2,13,58,123.59	7,53,23,306.99	8,01,11,279.73	8,64,92,056.77	5,20,03,415.54
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि				Rs. 31,52,88,182.62 (including GST Rs. 3,07,05,869.790, Fuel Rs. 31,11,839.800 & Centage Rs. 2,55,88,224.810)	
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण				Rs. 2,63,87,718.42	

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष ₹0 31,52,88,182.62 (₹0 इकतीस करोड़ बावन लाख अटठासी हजार एक सौ बयासी व पैसे बासठ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2022 तक लम्बित कुल धनराशि ₹0 2,63,87,718.42 (₹0 दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार सात सौ अट्ठारह व पैसे बयाली मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी है।

समिति का निर्णय:- ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष ₹0 31,52,88,182.62 (₹0 इकतीस करोड़ बावन लाख अटठासी हजार एक सौ बयासी व पैसे बासठ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी०एस०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2022 तक लम्बित कुल धनराशि ₹0 2,63,87,718.42 (₹0 दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार सात सौ अट्ठारह व पैसे बयाली मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही-ओ०एम०एण्ड एम० सेल/उ०प्र० शासन/उ०प्र० जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (v) मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-454 / मु0अभि0(ल0क्षे0)कार्य-45 / 96 दिनांक 27.05.2022, पत्र संख्या-455 / मु0अभि0(ल0क्षे0) कार्य-45 / 98 दिनांक 27.05.2022 एवं पत्र संख्या-538 / मु0अभि0(ल0क्षे0) कार्य-45 / 116 दिनांक 16.06.2022 द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-4 के लिए फरवरी-2022, मार्च-2022 एवम् अप्रैल-2022 हेतु फर्म - M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	28 th Payment Certificate/Bill-February- 2022	रु0 8,33,11,596.70 (फर्म को भुगतान रु0 6,78,97,010.00 + जीएसटी रु0 81,47,641.20 + डीजल रु0 1,46,486.00) + 10 % सेन्टेज रु0 71,20,459.50
2	29 th Payment Certificate/Bill-March- 2022	रु0 8,15,84,741.34 (फर्म को भुगतान रु0 6,60,75,407.00 + जीएसटी रु0 79,29,048.84+ डीजल रु0 4,59,826.00) + 10 % सेन्टेज रु0 71,20,459.50
3	30 th Payment Certificate/Bill-April- 2022	रु0 8,47,67,296.90 (फर्म को भुगतान रु0 6,88,86,595.00 + जीएसटी रु0 82,66,391.40+ डीजल रु0 4,93,851.00) + 10 % सेन्टेज रु0 71,20,459.50

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिष्ठत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 01 नवम्बर, 2019 से अप्रैल-2022 तक व्याज सहित वांछित धनराशि रु0 18,25,16,250.00 (रु0 अठारह करोड़ पच्चीस लाख सौलह हजार दो सौ पचास मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु0 16,27,93,750.00 (रु0 सौलह करोड़ सताईस लाख तिरावने हजार सात सौ पचास मात्र) जमा जा चुकी है एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिल के सापेक्ष रु0 1,92,93,750.00 (रु0 एक करोड़ बानवे तिरावने हजार सात सौ पचास मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत है:-

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

लखनऊ जोन में स्थित कुल 3 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज फरवरी-2022, मार्च-2022 एवम् अप्रैल-2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 345 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, भरवारा-सी0ओ0डी0-15 बार, टी0एस0एस0-12 बार एवं FC-01 बार
- 42 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, दौलतगंज -सी0ओ0डी0-13 बार, टी0एस0एस0-24 एवं FC-21 बार
- 14 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, दौलतगंज - सी0ओ0डी0-2 बार, टी0एस0एस0-3 एवं FC-3 बार

लखनऊ जोन के एस0टी0पी0 में क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत है:-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती
1	2	3
लखनऊ जोन		
फरवरी-2022	8,33,11,596.70	287000.00
मार्च-2022	8,15,84,741.34	171000.00

7

8

9

10

NDR

अप्रैल-2022	8,47,67,296.90	1734000.00
योग	24,96,63,634.94	21,92,000.00

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा ब्याज सहित वांछित धनराशि रु० 18,25,16,250.00 (रु० अठारह करोड़ पच्चीस लाख सौलह हजार दो सौ पचास मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० 16,27,93,750.00 (रु० सौलह करोड़ सताईस लाख तिरावने हजार सात सौ पचास मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में रु० 1,97,22,500.00 (रु० एक करोड़ संतानवे लाख बाईस हजार पाँ सौ मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार है:

क्र.स.	विवरण	28 th Payment Certificate/ Bill Amount February-2022 (Rs.)	29 th Payment Certificate/ Bill Amount March-2022 (Rs.)	30 th Payment Certificate/ Bill Amount April-2022 (Rs.)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	70210402.91	65477133.82	63200074.00
2	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	8425248.35	7857256.06	7584008.88
3	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	146486.00	459826.00	493851.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10%)	7021040.29	6547713.38	6320007.40
5	योग (1+2+3+4)	8,58,03,177.55	8,03,41,929.26	7,75,97,941.28
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	Rs. 24,37,43,048.09 (including GST Rs. 23866513.29, Fuel Rs. 1100163.00 & Centage Rs. 19888761.07)		
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,97,22,500.00		

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु० 24,35,07,875.06 (रु० चौबीस करोड़ पैंतीस लाख सात हजार आठ सौ पचहत्तर व पैसे छ: मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,97,22,500.00 (रु० एक करोड़ संतानवे लाख बाईस हजार पाँ सौ मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु० 24,35,07,875.06 (रु० चौबीस करोड़ पैंतीस लाख सात हजार आठ सौ पचहत्तर व पैसे छ: मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी०एस०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,97,22,500.00 (रु० एक करोड़ संतानवे लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही-ओ०एम०एण्ड एम० सेल/उ०प्र० शासन/ उ०प्र० जल निगम-नगरीय)

विद्युत बिल-

एजेन्डा (vi) अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/यो), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र-53/विद्युत संयो0-आगरा/23 दिनांक 08.03.2022, पत्र-104/वि0संयो0-आगरा/41 दिनांक 22.04.2022, पत्र संख्या 138/वि0संयो0-आगरा/50 दिनांक 11.05.2022 एवं पत्र संख्या-187/वि0संयो0 आगरा/58 दिनांक 09.06.2022 द्वारा 05 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0 के हेतु माह फरवरी-2022, मार्च-2022, अप्रैल-2022 व मई-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 60,62,664.84 (रु0 साठ लाख बासठ हजार छ: सौ चौंसठ एवं पैसा चौरासी मात्र), रु0 69,03,846.27 (रु0 उन्हत्तर लाख तीन हजार आठ सौ छियालीस एवं पैसा सत्ताइस मात्र), रु0 64,59,567.12 (रु0 चौंसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ सड़सठ एवं पैसा बारह मात्र) एवं रु0 73,16,364.00 (रु0 तिहत्तर लाख, बारह हजार, तीन सौ चौंसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है।

इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/यो), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या 54/विद्युत संयो0-आगरा/24 दिनांक 08.03.2022, 07/वि0संयो0-आगरा/02 दिनांक 10.01.2022, पत्र संख्या-41/वि0संयो0-आगरा/12 दिनांक 19.02.2022, पत्र संख्या 102/वि0संयो0 आगरा/39 दिनांक 22.04.2022, पत्र संख्या 103/वि0संयो0आगरा/40 दिनांक 22.04.2022, पत्र संख्या-139/वि0संयो0 आगरा/51 दिनांक 11.05.2022, पत्र संख्या 140/वि0संयो0-आगरा/52 दिनांक 11.05.2022, पत्र संख्या-185/वि0संयो0-आगरा/56 दिनांक 09.06.2022 एवं पत्र संख्या-186/वि0 संयो0आगरा/57 दिनांक 09.06.2022 द्वारा एक नग एस0टी0पी0 के माह फरवरी-2022, 02 नग एस0टी0पी0 के माह मार्च-2022, अप्रैल-2022 व मई-2022 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 1,01,177.09 (रु0 एक लाख एक हजार एक सौ सतहत्तर एवं पैसा नौ मात्र), रु0 1,20,892.64 (रु0 एक लाख बीस आठ सौ बानवे व पैसे चौंसठ मात्र), रु0 1,22,699.80 (रु0 एक लाख बाईस हजार छ: सौ निनाबे व पैसे अस्सी मात्र) एवं रु0 1,42,400.58 (रु0 एक लाख बयालीस हजार चार सौ व पैसे अठावन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेन्डा-(vii) (1) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद के पत्र संख्या-606/कार्य-33/72 दिनांक 04.03.2022, पत्र संख्या-896/कार्य-33/109 दिनांक 02.04.2022 एवं 1302/कार्य-33/147 दिनांक 04.05.2022 द्वारा अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद 48 एम0एल0डी0 एम0पी0एस0, 56 व 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 गाजियाबाद के माह फरवरी-2022, मार्च-2022, अप्रैल-2022 व मई-2022 तक के 2 नग एस0टीपी0 व 1 नग एम0पी0एस0 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 36,79,056.00 (रु0 दस लाख उनासी हजार छब्बपन मात्र), रु0 39,74,307.00, रु0 4185383.00 (रु0 इकतालीस लाख बचासील हजार तीन सौ तिरासी मात्र) एवं रु0 39,44,705.00 (रु0 उन्तालीस लाख चौवाली हजार सात सौ पाँच मात्र) अर्थात् कुल रु0 1,23,90,504.00 (रु0 एक करोड़ तेर्झस लाख नबे हजार पाँच सौ चार मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-607/कार्य-33/73 दिनांक 04.03.2022, पत्र संख्या-823/कार्य-33/97 दिनांक 30.03.2022, पत्र संख्या-1303/कार्य-33/148 दिनांक 04.05.2022 एवं पत्र संख्या-1761/कार्य-33/178 दिनांक 10.06.2022 द्वारा सीवेज पम्प जी0डी0ए0 मार्केट सेक्टर-5 वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प नगर निगम, सेक्टर-1, निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प सप्तम खण्ड, सेक्टर-19 वसुन्धरा, गाजियाबाद व सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिसा सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद के जनवरी-2022, फरवरी-2022, मार्च-2022 व अप्रैल-2022 द्वारा क्रमशः रु0 1341735.00 (रु0 तेरह लाख इकतालीस हजार सात सौ पैंतीस मात्र), रु0 1111278.00 (रु0 ग्यारह लाख ग्यारह हजार दौ सौ अठहत्तर मात्र) रु0 1280328.00 (रु0 बारह लाख अस्सी हजार तीन सौ अठाईस मात्र) एवं रु0 1246054.00 (रु0 बारह लाख छियालीस हजार चौवन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-593/कार्य-33/68 दिनांक 03.03.2022, पत्र संख्या-895/कार्य-33/108 दिनांक 02.04.2022 एवं

पत्र संख्या-1439 / कार्य-33 / 153 दिनांक 18.05.2022 द्वारा 56 एम०एल०डी० व 70 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० छूड़ाहड़ा, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित माह फरवरी-2022, मार्च-2022 व अप्रैल-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 3565181.00, रु० 4147316.00 व रु० 3583586.00 अर्थात् कुल रु० 1,12,96,083.00 (रु० एक करोड़ बारह लाख छियानबे हजार तिरासी मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(4) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-679 / कार्य-33 / 84 दिनांक 08.03.2022, पत्र संख्या-1143 / कार्य-33 / 128 दिनांक 21.04.2022, पत्र संख्या-1457 / कार्य-33 / 156 दिनांक 20.05.2022 एवं पत्र संख्या-1723 / कार्य-33 / 173 दिनांक 08.06.2022 द्वारा लोनी सीवरेज योजना में 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी० / 68 एम०एल०डी० एम०पी०एस० लोनी, गाजियाबाद के माह फरवर-2022, मार्च-2022, अप्रैल-2022 व मई-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 783704.00, रु० 849977.00, रु० 1024998.51 एवं रु० 854636.00 अर्थात् कुल रु० 35,13,315.51 (रु० पैंतीस लाख तेरह हजार तीन सौ पंद्रह व इक्यावन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(5) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-824 / कार्य-33 / 98 दिनांक 30.03.2022, पत्र संख्या-1189 / कार्य-33 / 134 दिनांक 23.04.2022 एवं पत्र संख्या-1530 / कार्य-33 / 161 दिनांक 26.05.2022 द्वारा सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार, गार्डन (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम/जनकपुरी एस०पी०एस०, गाजियाबाद / सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम/ब्रज विहार एस०पी०एस० गाजियाबाद के मार्च-2022, अप्रैल-2022 व मई-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः-रु० 282567.00, रु० 341010.00 एवं रु० 330860.00 अर्थात् कुल रु० 9,54,437.00 (रु० नौ लाख चौवन हजार चार सौ सैंतीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(6) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि०/याँ) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-714 / कार्य- 33 / 87 दिनांक 11.03.2022, संख्या-1057 / कार्य-33 / 122 दिनांक 12.04.2022 एवं पत्र संख्या-1487 / कार्य-33 / 159 दिनांक 23.05.2022 द्वारा 03 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व 2 एम०एल०डी०, आई०पी०एस०, पिलखुआ के दिनांक 13.01.2022 से 11.02.2022 व दिनांक 11.02.2022 से 10.03.2022 तथा दिनांक 29.01.2022 से 26.02.2022 व 26.02.2022 से 29.03.2022 एवम् दिनांक 10.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 व दिनांक 29.03.2022 व दिनांक 28.04.2022 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 343148.00, रु० 325006.00 एवं रु० 331106.00 अर्थात् कुल 9,99,260.00 (रु० नौ लाख निन्नावे हजार दो सौ साठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(7) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-542 / कार्य-33 / 64 दिनांक 26.02.2022 एवं पत्र संख्या-826 / कार्य-33 / 99 दिनांक 30.03.2022 द्वारा कृष्णापुरी शामली बस स्टैण्ड मुजफ्फरनगर (IPS-1), जामिया नगर खालापार मुजफ्फरनगर (STP-WSP), कोर्ट परिसर मुजफ्फरनगर (IPS-2) एवम् गौशाला रोड शमशासन घाट, मुजफ्फरनगर (MPS) तक के माह फरवरी-2022 व मार्च-2022 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमश रु० 506220.00 एवं 597145.00 अर्थात् कुल रु० 11,03,365.00 (रु० ग्यारह लाख तीन सौ पैंसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(8) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/याँ), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-608 / कार्य-33 / 74 दिनांक 04.03.2022, पत्र संख्या-894 / कार्य-33 / 107 दिनांक 02.04.2022, पत्र संख्या-1370 / कार्य-33 / 151 दिनांक 09.05.2022 एवम् पत्र संख्या-1725 / कार्य-33 / 175 दिनांक 08.06.2022 द्वारा 72 एम०एल०डी०, कमालपुर, मेरठ के माह फरवरी-2022 व अप्रैल-2022 तक के प्रमाणित विद्युत देयक कुल रु० 1,12,31,756.95 (रु० एक करोड़ बारह लाख इक्कतीस हजार सात सौ छप्पन व पैसे पंचानबे मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(9) अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि/याँ), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-51 / विद्युत संयोजनान्वयन/04 दिनांक 10.05.2022 द्वारा 24 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, हेमतराज

कॉलोनी रोड, बिजनौर के माह मई-2022 के प्रमाणित विद्युत देयक कुल रु0 7,65,462.00 (रु0 सात लाख पैंसठ हजार चौर सौ बासठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-(viii) महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 417/डब्लू-20/10 दिनांक 08.03.2022 द्वारा लखनऊ नगर के 03 एस0टी0पी0 एवम् 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन का माह दिसम्बर-2021 का कुल रु0 2,16,80,190.00 (रु0 दो करोड़ सौलह लाख अस्सी हजार एक सौ नब्बे मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-तृतीय (वि/यां), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के पत्र संख्या 250/डब्लू-6/60 दिनांक 04.03.2022 द्वारा लखनऊ नगर के ग्वारी कलवर्ट एम0पी0एस0 का माह जून-2021 से माह दिसम्बर-2021 तक प्राप्त एरियर के संशोधित बीजक रु0 2,86,19,442.00 (रु0 दो करोड़ छियासी हजार उन्नीस हजार चार सौ बयालीस मात्र) सत्यापित निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-(ix) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के पत्र संख्या 195/कार्य-10/12 दिनांक 05.03.2022, 281/कार्य-10/15 दिनांक 21.03.2022, पत्र संख्या-487/कार्य-10/24 दिनांक 02.05.2022 एवम् पत्र संख्या-620/कार्य-10/40 दिनांक 03.05.2022 द्वारा गोरखपुर नगर के 2 नग एस0टी0पी0 एवम् 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का माह जुलाई-2021 (अवशेष), फरवरी-2022, मार्च-2022, अप्रैल-2022 व का कुल रु0 1,00,17,363.58 (रु0 एक करोड़ सत्रह हजार तीन सौ तिरसठ व पैसे अठावन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार पैरा (vi), (vii), (viii) एवं (ix) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा क्र0स0	शहर/टाउन का नाम	एस0टी0पी0/पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
(vi)	आगरा	5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	फरवरी-2022	60,62,664.84
			मार्च-2022	69,03,846.27
			अप्रैल-2022	64,59,567.12
			मई-2022	73,12,364.00
		12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0	मार्च-2022	37379.00
			अप्रैल-2022	27707.07
			मई-2022	35,284.81
		40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (बिचपुरी), आगरा	फरवरी-2022	101177.09
			मार्च-2022	83513.64
			अप्रैल-2022	94992.73
			मई-2022	1,07,115.77
		योग		2,72,25,612.34
(vii)	गाजियाबाद	अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (48 MLD MPS)	01.02.2022 से 01.03.2022	714651.00
			01.03.2022 से 01.04.2022	773809.00
			01.04.2022 से 01.05.2022	781897.00
			01.05.2022 से 01.06.2022	811851.00
			01.02.2022 से 01.03.2022	37110.00
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (56 MLD STP)	01.03.2022 से	42102.00
			01.03.2022 से	

एजेण्डा क्र०सं०	शहर/टाउन का नाम	एस०टी०पी० / पमिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की घनराशि रु०
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	54750.00
			01.05.2022	
			01.05.2022 से	53086.00
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (74 MLD STP)	01.02.2022 से	2927295.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	3158396.00
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	3085384.00
			01.05.2022	
			01.05.2022 से	3079768.00
			01.06.2022	
		सीवेज पम्प जी०डी० मार्केट सेक्टर-५, वैशाली, गाजियाबाद	01.01.2022 से	280859.00
			01.02.2022	
			01.02.2022 से	213400.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	227445.00
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	244172.00
			02.05.2022	
		सीवेज पम्प नगर निगम सेक्टर-१ निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद	01.01.2022 से	212253.00
			01.02.2022	
			01.02.2022 से	194281.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	218576.00
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	207593.00
			01.05.2022	
		सीवेज पम्प सप्तम खण्ड सेक्टर-१९ वसुन्धरा गाजियाबाद	01.01.2022 से	181039.00
			01.02.2022	
			01.02.2022 से	156885.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	660172.00
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	179992.00
			01.05.2022	
		सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिया सेक्टर-५, वसुन्धरा, गाजियाबाद	01.01.2022 से	667584.00
			01.02.2022	
			01.02.2022 से	546712.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	660172.00
			01.04.2022	
			01.04.2022 से	614297.00
			01.05.2022	
		सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार गार्डन (५६ एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम्/ जनकपुरी एस०पी०एस०,	01.02.2022 से	229756.00
			01.03.2022	
			01.03.2022 से	257613.00
			01.04.2022	

एजेण्डा क्र०सं०	शहर/टाउन का नाम	एस०टी०पी०/पमिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु०
		गाजियाबाद	01.04.2022 से 01.05.2022	231953.00
		सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम/ब्रज विहार एस०पी०एस०, गाजियाबाद	01.02.2022 से 01.03.2022	52811.00
			01.03.2022 से 01.04.2022	83397.00
			01.04.2022 से 01.05.2022	98907.00
		DLF S/S Treatment Plant, Loni (68 MLD SPS)	01.02.2022 से 01.03.2022	445283.00
			01.03.2022 से 01.04.2022	486303.00
			01.04.2022 से 01.05.2022	691985.51
			01.05.2022 से 01.06.2022	513302.77
		STP Near DLF S/S Loni, Ghaziabad. (30 MLD STP)	01.02.2022 से 01.03.2022	338421.00
			01.03.2022 से 01.04.2022	363674.00
			01.04.2022 से 01.05.2022	333013.00
			01.05.2022 से 01.06.2022	341333.28
		झूड़ाहेड़ा सीवरेज 56 एम०एल०डी०	01.02.2022 से 01.03.2022	2263898.24
			01.03.2022 से 01.04.2022	2884108.31
			01.04.2022 से 01.05.2022	2567929.00
		झूड़ाहेड़ा सीवरेज 70 एम०एल०डी०	01.02.2022 से 01.03.2022	1301282.86
			01.03.2022 से 01.04.2022	1263208.25
			01.04.2022 से 01.05.2022	1015657.00
		एम०पी०एस०—एस०टी०पी०—०३ एम०एल०डी०, पिलखुआ	13.01.2022 से 11.02.2022	302513.00
			11.02.2022 से 10.03.2022	284370.70
			10.03.2022 से 12.04.2022	300630.00
		आई०पी०एस० 02 एम०एल०डी०, पिलखुआ	29.01.2022 से 26.02.2022	40635.00
			26.02.2022 से 29.03.2022	325006.00
			29.03.2022 से 28.04.2022	30476.00
	मेरठ	72 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०,	फरवरी—2022 से	1,12,31,756.95

एजेण्डा क्र०सं०	शहर/ठाउन का नाम	एस०टी०पी०/पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि र००
		कमालपुर	मई-2022 तक	
	बिजनौर	24 एम०एल०डी० एस०ट०पी० हेमराज कॉलोनी रोड, बिजनौर	मई-2022	765462.00
	मुजफ्फरनगर	कृष्णापुरी शामली बस रस्टैण्ड मुजफ्फरनगर (IPS-1)	01.01.2022 से 01.02.2022	34072.69
			01.02.2022 से 01.03.2022	30910.90
			01.04.2022 से 01.05.2022	22423.99
	जामिया नगर खालापार मुजफ्फरनगर (STP-WSP)		01.01.2022 से 01.02.2022	22969.45
			01.02.2022 से 01.03.2022	16053.45
			01.04.2022 से 01.05.2022	12600.44
	कोर्ट परिसर मुजफ्फरनगर (IPS-2)		01.01.2022 से 01.02.2022	143675.00
			01.02.2022 से 01.03.2022	197541.92
	गौशाला रोड शमशासन घाट, मुजफ्फरनगर (MPS)		01.01.2022 से 01.02.2022	305503.12
			01.02.2022 से 01.03.2022	352638.75
			01.04.2022 से 01.05.2022	188955.17
	1248089452, गन्दा कुँआ राणा चौक, मुजफ्फरनगर		01.04.2022 से 01.05.2022	342321.33
			योग	5,16,99,883.08
(viii)	लखनऊ	3 नग एस०टी०पी० एवं 30 नग एस०पी०एस०, लखनऊ	दिसम्बर-2021	2,16,80,190.00
			अप्रैल-2022 व मई-2022	1,68,63,911.00
		ग्वारी कलवर्ट एम०पी०एस०	जून-2021 से माह दिसम्बर-2021 (एरियर)	2,86,19,442.00
			योग	6,71,63,543.00
(ix)	गोरखपुर	30 एम०एल०डी०, STP, 30 MLD SPS व 15 STP, STP & 15 MLD SPS	जुलाई-2021 (अवशेष)	1576947.19
			फरवरी-2022	2980342.00
			मार्च-2022	2789476.48
			अप्रैल-2022	2670597.91
			योग	1,00,17,363.58
			महायोग	15,61,06,402.00

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि र०० 15,61,06,402.00 (र०० पंद्रह करोड़ इक्सठ लाख छः हजार चार सौ दो मात्र) की स्वीकृति वांछित है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा (vi), (vii), (viii) एवं (ix) एजेण्डा में प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा इकाईयों से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण किया गया। जोनवार विद्युत व्यय निम्नानुसार हैं:-

क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	आगरा जोन	2,72,25,612.34
2	गाजियाबाद जोन	5,16,99,883.08
3	लखनऊ	6,71,63,543.00
4	गोरखपुर	1,00,17,363.58
	महायोग	15,61, 06,402.00

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 15,61, 06,402.00 (रु० पंद्रह करोड़ इक्सठ लाख छः हजार चार सौ दो मात्र) वाचित है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 15,61,06,402.00 (रु० पंद्रह करोड़ इक्सठ लाख छः हजार चौ सौ दो मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए रु० 2,72,25,612.34, गाजियाबाद जोन के लिए रु० 5,16,99,883.08, लखनऊ जोन के लिए रु० 6,71,63,543.00 एवम् गोरखपुर जोन के लिए रु० 1,00,17,363.58 की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही—ओ०एम०एण्ड एम० सेल/उ०प्र० शासन/उ०प्र० जल निगम—नगरीय)

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल की संकलित संस्तुति:- उपरोक्तानुसार एजेण्डा (ii, iii, iv एवं v) हेतु लिये गये संस्तुति में अंकित कुल धनराशि रु० 68,49,40,777.79 (रु० अडसठ करोड़ उनचास लाख चालीस हजार सात सौ सतहत्तर व पैसे उनासी मात्र) में से गोरखपुर जोन के लिए रु० 2,14,69,025.38 (रु० दो करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार पच्चीस व पैसे अडतीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु० 10,44,40,521.70 (रु० दस करोड़ चौवालीस लाख चालीस हजार पाँच इक्कीस व पैसे सत्तर मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु० 31,52,88,182.62 (रु० इकतीस करोड़ बावन लाख अट्ठासी हजार एक सौ बयासी व पैसे बासठ मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु० 24,37,43,048.09 (रु० चौबीस करोड़ सैंतीस लाख तिरालीस हजार अठतालीस व पैसे नौ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी०एस०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 3,79,94,586.08 में से रु० 1,76,53,241.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु० 2,03,41,344.64 (रु० 3,79,94,586.08 - 1,76,53,241.44 = रु० 2,03,41,344.64) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 2,59,91,651.55 (रु० दो करोड़ उनसठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ इक्यावन व पैसे पचपन मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 2,63,87,718.42 (रु० दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार सात सौ अट्ठारह व पैसे बयाली मात्र) एवं लखनऊ के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,97,22,500.00 (रु० एक करोड़ संतानवे लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) है की शत-प्रतिशत की

7

F

17

✓ B

108

कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि रु0 68,49,40,777.79 (रु0 अडसठ करोड़ उनचास लाख चालीस हजार सात सौ सतहत्तर व पैसे उनासी मात्र) तथा विद्युत बिल के सापेक्ष रु0 15,61,06,402.00 (रु0 पंद्रह करोड़ इक्सठ लाख छ: हजार चौ सौ दो मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए रु0 2,72,25,612.34, गाजियाबाद जोन के लिए रु0 5,16,99,883.08, लखनऊ जोन के लिए रु0 6,71,63,543.00 एवम् गोरखपुर जोन के लिए रु0 1,00,17,363.58 अर्थात् कुल रु0 84,10,47,179.79 (रु0 चौरासी करोड़ दस लाख सेँतालीस हजार एक सौ उनासी व पैसे उनासी मात्र) आवंटित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः— उपरोक्तानुसार ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में गोरखपुर जोन के लिए रु0 2,14,69,025.38 (रु0 दो करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार पच्चीस व पैसे अडतीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 10,44,40,521.70 (रु0 दस करोड़ चौवालीस लाख चालीस हजार पाँच इक्कीस व पैसे सत्तर मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 31,52,88,182.62 (रु0 इकतीस करोड़ बावन लाख अट्ठासी हजार एक सौ बयासी व पैसे बासठ मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु0 24,37,43,048.09 (रु0 चौबीस करोड़ सेँतीस लाख तिरालीस हजार अठतालीस व पैसे नौ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 3,79,94,586.08 में से रु0 1,76,53,241.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 2,03,41,344.64 (रु0 3,79,94,586.08 – 1,76,53,241.44 = रु0 2,03,41,344.64) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,59,91,651.55 (रु0 दो करोड़ उनसठ लाख इक्यानवे हजार छ: सौ इक्यावन व पैसे पचपन मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह मई—2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,63,87,718.42 (रु0 दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार सात सौ अट्ठारह व पैसे बयाली मात्र) एवं लखनऊ के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अप्रैल—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,97,22,500.00 (रु0 एक करोड़ संतानवे लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) है की शत—प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि रु0 68,49,40,777.79 (रु0 अडसठ करोड़ उनचास लाख चालीस हजार सात सौ सतहत्तर व पैसे उनासी मात्र) तथा विद्युत बिलों के सापेक्ष रु0 15,61,06,402.00 (रु0 पंद्रह करोड़ इक्सठ लाख छ: हजार चौ सौ दो मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए रु0 2,72,25,612.34, गाजियाबाद जोन के लिए रु0 5,16,99,883.08, लखनऊ जोन के लिए रु0 6,71,63,543.00 एवम् गोरखपुर जोन के लिए रु0 1,00,17,363.58 अर्थात् कुल रु0 84,10,47,179.79 (रु0 चौरासी करोड़ दस लाख सेँतालीस हजार एक सौ उनासी व पैसे उनासी मात्र) आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी और प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु ओ0एम0एण्ड एम0 सेल को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही— ओ0एम0एण्ड एम0 सेल / उ0प्र0 शासन / प्र०नि०.उ0प्र0 जल निगम—नगरीय)

एजेन्डा (x) दिनांक 23.10.2021 की बैठक में ओ0एम0एण्ड एम0 सेल के संचालन एवं रखरखाव के लिये वार्षिक बजट उपलब्ध कराये जाने हेतु अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था। उक्त के अनुपालन में ओ0एम0एण्ड एम0 सेल के पत्र संख्या—267/02/ओ0एम0एण्ड एम0/2021–22 दिनांक 18.11.2021 द्वारा शासन से रु0 24.00 लाख प्रतिवर्ष ओ0एम0एण्ड एम0 सेल के संचालन हेतु अनुरोध किया गया था।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता—ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या—42/नौ—9—2022—75ज/21, नगर विकास अनुभाग—9, दिनांक 05.01.2022 द्वारा ₹ 24.00 लाख हेतु बजट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सेल पर आने वाले अनुमानित व्यय का विवरण तैयार का समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं उक्त समिति के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

उक्त के अनुपालन में ओ०एम०एण्ड एम० सेल के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष—2022—23 के लिए निम्नानुसार अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत हैः—

A) ONE TIME EXPENDITURE	Qty.	Amount (In lacs)
1) 1 P.C. with accessories, computer table and software's	1	1.25
2) Printer cum Scanner	1	0.50
3) Office Furniture including Smart TV	Job	2.20
4) Internet connection for OM&M Cell	1	0.05
	Sub Total	4.00
B) MONTHLY EXPENDITURE		
1) Original Cartridge and refill	2	0.08
2) Original Software fees (ArcGIS, Microsoft Office, Cloud Storage)	Job	0.03
3) Stationary	LS	0.35
4) 4 wheeled Air conditioned Vehicle and field Visit	1	0.76
5) Team Assistant & Computer Operator	2	0.50
6) Office Boy	1	0.18
7) Postage and Misc. Charges (Internet and unforeseen expenditure)	LS	0.08
8) AMC of PC and Printer	LS	0.02
		2.00

- (i) वित्तीय वर्ष 2022—2023 में जून—2022 से मार्च—2023 तक (कुल 10 माह) हेतु संभावित व्यय
 $= 10 \times 2.00 = 20.00$ लाख
- (ii) एक मुश्त संभावित व्यय (One Time Expenditure)
 $\text{कुल} = 4.00 \text{ लाख}$
 $\text{कुल} = 24.00 \text{ लाख}$

अतः वित्तीय वर्ष 2022—2023 हेतु ओ०एम०एण्ड एम० सेल के संचालन एवम् रखरखाव के लिये ₹ 24.00 लाख का अनुमोदन प्रदान करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
 (कार्यवाही— ओ०एम०एण्ड एम० सेल/सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०)

एजेन्डा (xi) वन सिटी वन आपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बन्धित में पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवर नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज—4 लखनऊ जोन, पैकेज—6 आगरा जोन, पैकेज—8 गाजियाबाद जोन, पैकेज—5 गोरखपुर जोन) हेतु सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबंध सम्पादित कर कार्य कराया जा रहा है।

उक्त कार्य में उ०प्र० जल निगम को प्राप्त को प्राप्त होने वाले सेन्टेज के सम्बन्ध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्रांक 440/नागर—2/033—वन सिटी वन ऑपरेटर/22 दिनांक 08.03.2022 द्वारा परियोजना निदेशक, स्टेट मिशन स्वच्छ गंगा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक—900/0368/एस०एम०सी०जी०—य०पी०/04 दिनांक 31.07.2019 द्वारा निर्गत कार्य के Draft Agreement के बिन्दु संख्या—3 में उल्लिखित "The Jal Nigam will be the handling Agent of the contract, who will be paid 10% of the contract value for this work" के संदर्भ में प्रत्येक माह में विभिन्न कटौतियों के पश्चात फर्म को देय धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से उ०प्र० जल निगम को सेन्टेज/सुपरविजन

J S

AZ BK DR

चार्जेज का भुगतान करने के स्थान पर "अनुबंध की धनराशि" के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज/सुपरविजन चार्जेज के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, स्टेट मिशन स्वच्छ गंगा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- ९००/०३६८/एस०एम० सी०जी०-य०पी०/०४ दिनांक ३१.०७.२०१९ के बिन्दु संख्या-३ में य०पी० जल निगम को देय सेन्टेज के सम्बन्ध में निम्नानुसार वर्णन किया गया है:-

The Jal Nigam will be the handling Agent of the contract, who will be paid 10% of the contract value for this work"

उक्त के अनुसार उ०प्र० जल निगम को अनुबंध की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का भुगतान किये जाने के संबंध में समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें।

समिति का निर्णय:- अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुबंध की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये संबंधित क्लाज के विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही- ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

एजेन्डा (xii) वन सिटी वन आपरेटर योजना के अन्तर्गत लखनऊ जोन (पैकेज-४) में ३४५ एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा, लखनऊ का रखरखाव मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा० लि० गुरुग्राम द्वारा कराया जा रहा है। प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्रांक ५९१/अमृत/१००५/०३३-०३२७/२२ दिनांक ०५.०४.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त एस०टी०पी० पर अधिष्ठापित यंत्र-संयत्रों के संचालन पर हो रहे विद्युत भार को कम करने हेतु अमृत कार्यक्रम में १.४९२ मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट का निर्माण कराया गया था। उक्त सोलर पावर प्लान्ट अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्यरत है। उक्त सोलर प्लान्ट के कारण विद्युत मद में हुई वास्तविक बचत का वर्षावार तुलनात्मक विवरण भी प्रेषित है। सोलर पावर प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु गठित अनुबंध के अनुसार ०५ वर्षों में होने वाले व्यय का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

क्र०सं०	विवरण	संचालन एवम् रखरखाव पर व्यय की जाने वाली धनराशि
1	प्रथम वर्ष हेतु	13,99,950.00
2	द्वितीय वर्ष हेतु	20,99,925.00
3	तृतीय वर्ष हेतु	27,99,900.00
4	चतुर्थ वर्ष हेतु	34,99,850.00
5	पंचम वर्ष हेतु	41,99,850.00
योग		1,39,99,500.00

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन के उपरान्त विगत दो वर्षों में एस०टी०पी० भरवारा के विद्युत व्यय भार में रु० ३,२०,६३,८२१.०० की कमी एवं आगामी तीन वर्षों में लगभग रु० ५.०० करोड़ की बचत की संभावना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। अवगत कराया गया है कि अमृत योजना में निर्मित इस सोलर पावर प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव के मद में शासन से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है ऐसी स्थिति में समुचित रखरखाव के अभाव में भविष्य में इसके निष्प्रयोज्य हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त पत्र के साथ मुख्य अभियन्ता (नागर) के संलग्न पत्र संख्या-२०७६/अमृत/१००५/०३३-०३२७/२२ दिनांक १३.१०.२०२१ एवम् मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के पत्रांक १७८०/कार्य-१५/६०५ दिनांक १३.१०.२०२१ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सोलर पावर प्लान्ट के हस्तांतरण हेतु उ०प्र० जल निगम द्वारा संबंधित नगर निकाय (नगर निगम, लखनऊ) से पत्राचार करने पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि "सोलर पावर प्लान्ट का निर्माण ३४५ एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा के विद्युत व्यय भार जो कम करने हेतु किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सोलर पावर प्लान्ट के निर्माण के उपरान्त विद्युत व्यय भार में हुई बचत की धनराशि से सोलर पावर प्लान्ट के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य अपने स्तर से स्वयं करने का कष्ट करें" हस्तांतरण करने से मना कर दिया गया। उक्त पत्र के साथ संलग्न मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०) के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सोलर पावर प्लान्ट के सुचारू रूप से संचालन एवं

रखरखाव के दृष्टिगत योजना से संबंधित शासनादेश से पूर्व आमंत्रित ई-निविदा में संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रथम निविदादाता फर्म द्वारा दी गयी दरों की सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त 5 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव का कार्य मेसर्स एकमें पम्पस एवं पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लखनऊ को आवंटित करते हुये अनुबन्ध गठित किया गया। सोलर पावर प्लान्ट के 5 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव हेतु गठित अनुबन्ध के अनुसार होने वाले व्यय एवं विद्युत व्यय भार में हो रही बचत की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार दी गयी है:-

तालिका संख्या—10.1

सोलर पैनल अधिष्ठापन से पहले (जुलाई 2017 से जून 2018 तक)			सोलर प्लाण्ट अधिष्ठापन के बाद (जुलाई 2019 से जून 2020 तक)			सोलर प्लाण्ट अधिष्ठापन के बाद (जुलाई 2020 से जून 2021 तक)		
Month	Unit Paid	Amount	Month	Unit Paid	Amount	Month	Unit Paid	Amount
July-17	205028	1848046.00	July-19	18952	2022209.00	July-20	99480	1370789.00
Aug-17	310444	2601006.00	Aug-19			Aug-20	73268	1128460.00
Sept-17	163392	1791349.00	Sep-19	94032	1222950.00	Sep-20	86128	1247350.00
Oct-17	314392	2999870.00	Oct-19	89464	1278192.00	Oct-20	53952	949883.00
Nov-17	243300	2430889.00	Nov-19	59336	999658.00	Nov-20		
Dec-17	212808	2214725.00	Dec-19	55648	965563.00	Dec-20	179024	2858002.00
Jan-18	295696	2906838.00	Jan-20	157408	1906334.00	Jan-21	100608	1531583.00
Feb-18	194505	2061888.00	Feb-20	50796	920706.00	Feb-21	22808	812322.00
Mar-18	269088	2684662.00	Mar-20	53764	948145.00	Mar-21	5584	653087.00
Apr-18	260621	2613988.00	Apr-20	18144	618838.00	Apr-21	15592	745611.00
May-18	246772	2498324.00	May-20	31776	744866.00	May-21	25856	840501.00
Jun-18	253932	2558110.00	Jun-20	86108	1247165.00	Jun-21	8028	1343355.00
Total	2969981	29209695.00	Total	886228	12874626.00	Total	742548	13480943.00

सोलर पावर प्लाण्ट के 05 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु गठित अनुबंध के अनुसार होने वाले व्यय एवं विद्युत व्यय भार में हो रही बचत की वर्ष-वार स्थिति तालिका संख्या—2 के अनुसार निम्नवत् है:-

तालिका संख्या—10.2

क्र0सं0	विवरण	संचालन एवं रखरखाव पर व्यय की जाने वाली धनराशि	विद्युत व्यय भार में हो रही बचत की धनराशि	टिप्पणी
1	प्रथम वर्ष हेतु	1399950.00	16335069.00	वास्तविक अनुमानित
2	द्वितीय वर्ष हेतु	2099925.00	15728752.00	
3	तृतीय वर्ष हेतु	2799900.00	16515190.00	
4	चतुर्थ वर्ष हेतु	3499875.00	17340950.00	
5	पंचम वर्ष हेतु	4199850.00	18207998.00	
योग		13999500.00 (एक करोड़ उनतालिस लाख निन्यानबे हजार पाँच सौ रुपये)	84127959.00 (आठ करोड़ इकतालीस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ उनसठ रुपये)	

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह) एवं अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तथा परीक्षणोपरान्त समिति के संज्ञान में यह लाना है कि तालिका संख्या—10.1 एवं तालिका संख्या—10.2 के विवरण से स्पष्ट है कि सोलर पावर प्लाण्ट के अधिष्ठापन के उपरान्त 345 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 भरवारा के विद्युत व्यय भार में विगत दो वर्षों में प्रथम वर्ष (जुलाई 2019 से जून 2020 तक) में रु0 1,63,35,069.00 (55.52 प्रतिशत) एवं द्वितीय वर्ष (जुलाई 2020 से जून 2021 तक) रु0 1,57,28,752.00 (53.85 प्रतिशत) की कमी आयी है एवं आगामी तीन वर्षों में लगभग रु0 5,20,64,138.00 की बचत की सम्भावना है। सोलर पावर प्लाण्ट के 05 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल अनुबंधित धनराशि रु0 1,39,99,500 है, जो कि सोलर पावर प्लाण्ट के अधिष्ठापन के उपरान्त विद्युत व्यय भार के प्रथम वर्ष में हुयी बचत रु0 1,63,35,069.00 से भी कम है, जो तालिका संख्या—10.2 से स्पष्ट है। इन स्थितियों में सोलर

पावर प्लाण्ट के संचालन एवं रख-रखाव पर आने वाले व्यय भार की लागत की देयता का भुगतान, विद्युत व्यय भार में हो रही बचत के सापेक्ष किये जाने का पूर्ण औचित्य स्वयं सिद्ध है। यह भी अवगत कराना उचित होगा कि शासन द्वारा वन सिटी, वन ऑपरेटर नीति के उपरान्त नगर के संचालित समस्त एस0पी0एस0 एवं एस0टी0पी0 के विद्युत बीजकों के मद की धनराशि का भुगतान वर्तमान में राज्य वित्तीय आयोग की धनराशि से गठित राज्य स्तरीय निधि से किया जा रहा है। प्रश्नगत सोलर प्लान्ट का रखरखाव के आभाव में निष्प्रयोज्य होने की स्थिति में विद्युत के बिल बढ़ाहोतरी होगी जिसका भार शासन पर पड़ेगा।

अतः विद्युत व्यय भार में बचत से उक्त सोलर पावर प्लाण्ट के 05 वर्षों के रखरखाव हेतु रु 1,39,99,500.00 (जी0एस0टी0 सहित) हेतु राज्य स्तरीय निधि से किये जाने की संस्तुति सहित समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— अमृत कार्यक्रम में 1.492 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट के पाँच वर्षों के रखरखाव हेतु रु 1,39,99,500.00 (जी0एस0टी0 सहित) राज्य स्तरीय निधि से किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही— नगर विकास अनुभाग-9 / सहायक निदेशक (लेखा), स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0)

एजेन्डा (xiii) वन सिटी वन आपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत पैकेज-4 लखनऊ जोन, पैकेज-6 आगरा जोन पैकेज-8 गाजियाबाद जोन एवम् पैकेज-5 गोरखपुर जोन में विभिन्न फर्मों द्वारा कार्य गठित कुल 4 अनुबंध के अनुसार कराया जा रहा है। अनुबंध के वाल्यूम—I, Condition of Contract (सेक्शन-IV) के क्लाज-39.4 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है।

39.4 "Monthly Payment Certificates / Bill shall be determined based on the daily/weekly/monthly monitoring report of the quantity and quality of the sewage to be treated and effluent in reference to Total Service Fee Fixed Component (Total Contract Price in Rupee per month) and reports submitted by the NABL accredited / MoEF&CC Notified Laboratory as appointed by Employer in Conjunction with Norms stipulated by CPCB/SPCB/MoEF&CC".

उक्त क्लाज के अनुसार वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम में फर्म द्वारा किये गये कार्य एवम् प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत मासिक बिल का भुगतान प्रतिदिन/साप्ताहिक/मासिक ट्रीटेड सीवेज की Quality & Quantity की रिपोर्ट के आधार पर की जानी है। ट्रीटेड सीवेज की Quality का परीक्षण NABL accredited / MoEF & CC Notified Laboratory as appointed by Employer in conjunction with Norms stipulated by EPCB/SPCB/MoEF&CC द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता (ओ0एम0एण्ड एम0 सेल) द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति की बैठक दिनांक 23.10.2021 जिसका कार्यवृत्त पत्र संख्या-243/02/OM&M/2021-22 दिनांक 27.10.2021 द्वारा परिचालित है, के एजेन्डा (i) के बिन्दु संख्या-5 में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत स्थापित समस्त 15 नग एस0टी0पी0 की मूल डिजाइन के अनुसार समस्त इनलेट व आउटलेट पैरामीटर्स के परीक्षण एवम् एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर Feecal Coliform को निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम व्यय करके प्राप्त करने लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एस0टी0पी0 पर अधिक मात्रा में सी0ओ0डी0 पहुँचने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त कमेटी सम्बन्धित एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर सी0ओ0डी0 के मानक फेल होने के कारणों के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इस कमेटी में मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद संयोजक हैं तथा अन्य प्रतिनिधि श्री संजय कुमार सिंह, कन्सल्टेन्ट, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल एवम् सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं। इसके अतिरिक्त श्री डी0पी0सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को एक्सपर्ट सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

उक्त कमेटी द्वारा विगत समय में गाजियाबाद जोन के एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। कमेटी के समक्ष NABL accredited Lab, श्री राम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, 19, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली-110007 द्वारा प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट के परीक्षण में कुछ विसंगतियाँ दृष्टिगोचर हुई। इन विसंगतियों के निराकरण हेतु ओ0एम0एण्ड एम0 सेल के पत्र संख्या-321/2/OM&M Cell/2021-22 दिनांक 07.02.2022 द्वारा मेसर्स श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल दिल्ली को पत्र लिखा गया। उक्त पत्र का उत्तर कई बार दूरभाष पर अनुस्मारित कराने के उपरान्त मेसर्स श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या-SRI/QAD/ ODULB/

1

BY

SD

W

NW

03032022 दिनांक 03.03.2022 द्वारा उत्तर प्रेषित किया गया है जोकि संतोषजनक नहीं है एवम् ओ0एम0एण्ड एम0 सेल के पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के अनुकूल नहीं हैं।

इस क्रम में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता—ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि 14 एम0एल0डी0 रामपुर एस0टी0पी0 के माह अक्टूबर—2021 एवम् नवम्बर—2021 के थर्ड पार्टी की प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभाष है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माह अक्टूबर—2021 में दिनांक 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021 एवं 26.10.2021 तथा माह नवम्बर—2021 में दिनांक 02.11.2021 को 14 एम0एल0डी0 क्षमता के रामपुर के एस0टी0पी0 की रिपोर्ट में "Non Functional" दर्शाया गया है जबकि थर्ड पार्टी श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल द्वारा विभिन्न तिथियों में निम्नानुसार रिपोर्ट दी गयी है।

- दिनांक 04.10.2021 के सैम्पल के रिपोर्ट के अनुसार—
BOD-6mg/l, TSS-7mg/l, COD-36mg/l, FC-940 MPN/100 mg/l
- दिनांक 11.10.2021 के सैम्पल के रिपोर्ट के अनुसार—
BOD-2 mg/l, TSS-3 mg/l, COD-12 mg/l, FC- NO Growth Observed.
- दिनांक 18.10.2021 के सैम्पल के रिपोर्ट के अनुसार—
BOD-4 mg/l, TSS-4 mg/l, COD-20 mg/l, FC-700 MPN/100 mg/l
- दिनांक 25.10.2021 के सैम्पल के रिपोर्ट के अनुसार—
BOD-2 mg/l, TSS-4 mg/l, COD-12 mg/l, FC-1800 MPN/100 mg/l
- दिनांक 01.11.2021 के सैम्पल के रिपोर्ट के अनुसार—
BOD-Not Detected, TSS-2 mg/l, COD-4 mg/l, FC-1100 MPN/100 mg/l

इस प्रकार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत एस0टी0पी0 अक्टूबर—2021 के प्रारंभ से दिनांक 02.11.2021 तक Non Functional है जब कि श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल द्वारा उक्त अवधि में ट्रीटेड सीवेज की रिपोर्ट दी गयी है, जिसका अर्थ है कि एस0टी0पी0 कार्य कर रहा है। इस विरोधाभाष के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से आख्या प्रेषित करने का अनुरोध किया गया जो वर्तमान तक अपेक्षित है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता (ओ0एम0एण्ड एम0 सेल) द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में थर्ड पार्टी के रूप में श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली के सम्बन्ध में चयनित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन—उ0प्र0 के पत्र संख्या 30 / 0358 / एस0एम0सी0जी0 / 03 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार effluent norms parameters की प्रतिमाह रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Vishvugyan Bhawan, 31, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001 and Sriram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Delhi, 110007, New Delhi से ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिये अधिकृत किया गया है। इस निर्देश के अनुसार वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत गठित समस्त चार अनुबंधों में कार्यवाही की जा रही है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता (ओ0एम0एण्ड एम0 सेल) द्वारा इस क्रम में अवगत कराया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र संख्या—STP/CL/235/2020-21 दिनांक 05.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड की कुल 07 प्रयोगशालायें (बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज व वाराणसी) accredited हैं। अतः श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली जोकि एक प्राइवेट संस्था है एवम् उसके द्वारा ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं पर दिये गये असंतोषजनक उत्तर देने एवम् रामपुर के Non Functional STP का भी Treated Effluent की परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने को दृष्टिगत करते हुये उचित होगा कि अनुबंध की Section-IV, Volume-I की व्लाज संख्या—39.4 में दिये गये शर्त के अनुसार श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल के स्थान पर मात्र उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उक्त 07 NABL accredited प्रयोगशाला (Laboratory) अथवा CSIR IITR, Lucknow जोकि एक सरकारी संस्था है से ट्रीटेड सीवेज के विभिन्न पैरामीटर्स का परीक्षण कराया जाय। उक्त प्रस्ताव समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:— परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (xiv) वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत Major Replacement Fund for System (STP) and Collection System में कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को समिलित किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्र संख्या-121/मु0अभि0(वि/यां)/(2062-0123)/22 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता—ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को समिति की हुयी बैठक जिसका कार्यवृत्त 207/2/OM&M/2021-22 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से प्रसारित किया गया है, में Major Replacement Fund for System (STP) and Collection System के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया है:—

1. Major replacement Fund for System (STP)

कार्यों का आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर फर्म द्वारा उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण जल निगम द्वारा किया जायेगा।

- रु0 20.00 लाख की सीमा तक उक्त प्रस्ताव/आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- रु0 20.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/आगणन का परीक्षण पी0पी0आर0बी0डी0 सेल जल निगम से कराने के पश्चात तकनीकी स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता की समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	—	अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, पी0पी0आर0बी0डी0, सेल, उ0प्र0 जल निगम	—	सदस्य
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु0अभि0(वि/यां), उ0प्र0 जल निगम	—	सदस्य सचिव
4. मुख्य अभि0, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	—	सदस्य
5. कन्सल्टेंट, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	—	विशेष आमंत्री

2. Major replacement Fund for Collection System (Sewer line & SPS / MPS)

उक्त से संबंधित आवश्यक कार्यों का कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 जल निगम के अभियन्ताओं एवं संबंधित जलकल के अभियन्ताओं द्वारा कार्य की आवश्यकता का आंकलन/संयुक्त सर्व कर नगर निगम हेतु प्रस्ताव संबंधित नगर आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा एवं नगर आयुक्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त कार्यों का प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को आगणन तैयार करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। नगर पालिका की स्थिति में संबंधित अधिशासी अधिकारी/क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- रु0 50.00 लाख की सीमा तक के प्रस्ताव/आगणन की तकनीकी स्वीकृति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान की जायेगी एवं इस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण नगर आयुक्त, नगर निगम को प्रेषित की जायेगी। नगर पालिका परिषद के प्रकरण में वित्तीय स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान की जायेगी।
- रु0 50.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/आगणन की तकनीकी स्वीकृति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा पी0पी0आर0बी0डी0 सेल, उ0प्र0 जल निगम के परीक्षणोंपरान्त प्रदान की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	—	अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, पी0पी0आर0बी0डी0, सेल, उ0प्र0 जल निगम	—	सदस्य
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु0अभि0 (वि/यां), उ0प्र0 जल निगम	—	सदस्य सचिव
4. संबंधित नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल/अधि0अधिकारी, नगर पालिका परिषद	—	सदस्य
5. मुख्य अभि0, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	—	सदस्य
6. कन्सल्टेंट, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	—	विशेष आमंत्री

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ के उक्त पत्र 121 दिनांक 26.05.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/आगणनों की स्वीकृति के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ की राय एवं परामर्श भी आवश्यक है जिस हेतु उनको समिति में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार उपरोक्त समितियों का स्वरूप होगा।

1. Major replacement Fund for System (STP)

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	-	अध्यक्ष
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	-	सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, पी0पी0आर0बी0डी0, सेल, उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु0अभिर0(वि/या), उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य सचिव
5. मुख्य अभिर0, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	सदस्य
6. कन्सल्टेंट, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	विशेष आमंत्री

2. Major replacement Fund for Collection System (Sewer line & SPS / MPS)

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	-	अध्यक्ष
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	-	सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, पी0पी0आर0बी0डी0, सेल, उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मु0अभिर0 (वि/या), उ0प्र0 जल निगम	-	सदस्य सचिव
5. संबंधित नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल/अधिर0अधिकारी, नगर पालिका परिषद	-	सदस्य
6. मुख्य अभिर0, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	सदस्य
7. कन्सल्टेंट, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय	-	विशेष आमंत्री

उक्त प्रस्ताव समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा (xv) वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न समिति की बैठक में गाजियाबाद जोन (ऐकेज-8) में समस्त 15 एस0टी0पी0 की मूल डिजाइन के अनुसार समस्त इनलेट व आउटलेट पैरामीटर्स एवं इन एस0टी0पी0 के रखरखाव हेतु गठित अनुबंध में उल्लिखित पैरामीटर्स में भिन्नता होने का संज्ञान लेते हुये अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये—

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुये यह निर्देश दिये गये कि इस हेतु एक समिति का गठन किया जाये जिसके संयोजक मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं अन्य प्रतिनिधि, श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेंट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद होंगे। बैठक में श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेंट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री डी0पी0 सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम जोकि सीवरेज एवं एस0टी0पी0 के कार्यों हेतु एक्सपर्ट है तथा भारत सरकार के CPHEEO कमेटी के सदस्य भी हैं को भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कमेटी गाजियाबाद जोन के संबंधित एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि न्यूनतम व्यय में Fecal coliform norms को मानक के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता—ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में समिति द्वारा समस्त एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया जा चुका है एवम् Fecal coliform norms को मानक के अनुरूप प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव भी प्रेषित किये गये हैं। उक्त समिति में श्री डी0पी0 सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम तकनीकी विशेषज्ञ के रूप से सम्मिलित किए गये हैं। श्री डी0पी0 सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से अपने Professional fee के रूप में कुल रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख मात्र) एवम् 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से कुल रु0 1.18 लाख के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः गाजियाबाद जोन के समस्त 15 एस0टी0पी0 के निरीक्षण करने एवम् इनके सुधार हेतु तकनीकी सुझाव सहित विस्तृत रिपोर्ट हेतु श्री डी0पी0 सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम

को किये जाने हेतु Professional fee रु 1.18 लाख (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान हेतु समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (xvi) मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवम् प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति एवम् भुगतान के सम्बन्ध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये—

“दिनांक 16.08.2021 से पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जो कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं उनको संकलित करते हुये प्राथमिकता पर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के समक्ष संबंधित नगर आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम के माध्यम से दिनांक 30.10.2021 तक प्रस्तुत कर दिया जाए। उक्त कार्यों का औचित्य किस स्तर से स्वीकृति प्राप्त है एवम् तकनीकी परीक्षण प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराकर तीन सप्ताह के अन्दर ओ०एम०एण्ड एम० सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए। दिनांक 16.08.2021 के पश्चात किये गये/किये जाने वाले कार्यों का प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

एजेन्डा (xvi) (अ) उक्त निर्देश के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्र संख्या-127/मु०अभि०(ल०क्ष्म०)/गो०प्र०नि०इ० दिनांक 16.06.2022 के साथ संलग्न प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्र संख्या-156/1009/072-0001/वन सिटी वन/पी०पी० आर०बी०डी०/22 दिनांक 14.06.2022 के माध्यम से वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में लखनऊ जोन (पैकेज-4) के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2021 से पूर्व मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा लखनऊ नगर के सीवर नेटवर्क में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलने हेतु मेजर रिप्लेसमेन्ट के अन्तर्गत कराये जा चुके कार्य का बीजक एस्क्रो एकाउंट हेतु भुगतान हेतु समिति के विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

- लखनऊ नगर के सीवर नेटवर्क में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलने हेतु कराये गये कार्य का बीजक रु 9,81,55,107.00 मात्र प्रस्तुत है।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के पत्र संख्या-172/नागर-2/033-वन सिटी वन ऑपरेटर/22 दिनांक 16.06.2022 के माध्यम से दिनांक 16.08.2021 से पूर्व स्वीकृति की प्रत्याशा में नगरिया सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर चैनल निर्माण हेतु रु 13,05,438.00 मात्र का बिल तथा सिस गोमती पम्पिंग स्टेशन पर कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु रु 12,64,240.00 इस प्रकार कुल रु 25,69,678.00 मात्र का बीजक प्रस्तुत है।

प्रभारी सदस्य सचिव/अधिकारी अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं जिनके भुगतान के लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया गया है। अतः इनका भुगतान लखनऊ जोन (पैकेज-4) के अन्तर्गत एस्क्रो एकाउंट से किये जाने हेतु समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

- मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से गाजियाबाद जोन (पैकेज-8) के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2021 के पूर्व कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त का बैठक का कार्यवृत्त उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के पत्र संख्या-147/मु०अभि०(वि०/यां०)/(2062-0123)/22 दिनांक 18.06.2022 के माध्यम ओ०एम०एण्ड एम० सेल को प्राप्त हुआ है। उक्त के भुगतान की कार्यवाही उ०प्र० जल निगम द्वारा किया जाना शेष है। उक्त कार्यवाही समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

- (A) Rehabilitation works of 56 MLD STP, Indirapuram (UASB Technology)
(B) Replacement of Air blower line at 74 MLD STP, Indirapuram (SBR Tech)
(C) Rehabilitation works of 70 MLD STP Dudahera (UASB) Technology

TOTAL Cost of civil + E/M work = Rs. 62961504.92

2

BK

✓

NR

समिति का निर्णयः— ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर के सीवर नेटवर्क में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलने हेतु कराये गये कार्य का बीजक रु० 9,81,55,107.00 एवम् नगरिया सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर चैनल निर्माण हेतु रु० 13,05,438.00 का बिल तथा सिस गोमती पम्पिंग स्टेशन पर कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु रु० 12,64,240.00 का भुगतान पैकेज-4 (लखनऊ जोन) में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत एस्क्रो एकाउंट से करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही गाजियाबाद जोन में रु० 6,29,61,504.92 के कार्यों का अनुमोदन भी प्रदान किया गया व निर्देश दिये कि बिल प्राप्त होने पर इन कार्यों का भुगतान भी मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत एस्क्रो एकाउंट से कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से सम्बन्धित उक्त बिलों का भुगतान आदेश उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा निर्गत कर ओ०एम०एण्ड एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही:—उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

एजेन्डा (xvi) (ब)

- लखनऊ जोन (पैकेज-4) के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2021 के पश्चात् मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का निम्न प्रस्ताव प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है:—

- (A) SITC of Mechanical Screen and Starter at GH Canal - Rs. 9082560.00
(B) Cis-Gomti Pumping Station set 600 lps, 22m, 200kw-1 No – Rs. 972000.00

- गाजियाबाद जोन (पैकेज-8) में दिनांक 16.08.2021 के उपरान्त कराये जाने वाले कार्य के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न कार्यों की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- (A) Rehabilitation works of 56 MLD STP, Indirapuram (UASB Technology) E/M Work = Rs. 27,83,627.35
(B) Rehabilitation works of 70 MLD STP, Dundahera (UASB Technology) E/M Work = Rs. 74,66,249.29

Total cost of E/M Works = Rs. 1,49,876.64

उक्त कार्यवाही समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

एजेन्डा (xvii) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में गाजियाबाद जोन (पैकेज-8) का कार्य मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लि० द्वारा किया जा रहा है। फर्म ने अपने पत्र संख्या—VATW/2022-23/PKG-8/LKO/OMM/64 दिनांक 31.05.2022 के माध्यम से ट्रीटेड सीवेज के पैरामीटर्स थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने वाले परीक्षण में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के वॉल्यूम-। में क्लाज संख्या—39.4 सेवशन-IV “Conditions of Contract” में निम्न व्याख्या की गयी है—

“Monthly Payment Certificates / Bill shall be determined based on the daily/weekly/monthly monitoring report of the quality of the sewage to be treated and effluent in reference to Total Service Fee Fixed Component (Total Contract Price in Rupee per month) and reports submitted by the NABL accredited /MoEF&CC Notified Laboratory as appointed by Employer in Conjunction with Norms stipulated by CPCB/SPCB/MoEF&CC”.

उक्त प्राविधान के अनुसार गाजियाबाद जोन (पैकेज-8) के अनुबंध में समिलित समस्त 15 एस०टी०पी० के ट्रीटेड सीवेज का परीक्षण प्रत्येक सप्ताह थर्ड पार्टी मेसर्स श्री राम लैब, नई दिल्ली द्वारा कराया जाता है। उक्त परीक्षण का व्यय फर्म द्वारा वहन किया जा रहा है परन्तु फर्म ने अपने उक्त पत्र दिनांक 31.05.2022 में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया है। परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति का आधार परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०, उ०प्र० के पत्र संख्या—09/एस०एम०सी०जी०/0358/01 दिनांक 01.01.2020 के क्रम में—6 (Cost of testing of effluent samples) में की गयी व्याख्या को बनाया गया है। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि गठित

✓ 27

अनुबंध में थर्ड पार्टी टेस्टिंग के व्यय की प्रतिपूर्ति का किसी कलाज में उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०-उ०प्र० के उक्त संदर्भि पत्र के बिन्दु-६ में Clarification स्तम्भ में निम्नानुसार वर्णन किया गया है:-

“Cost of testing of samples by Thirdy Party Lab, which meets the parameters will be paid by the Authority / Employer. The testing charges for the samples which fails, will be borne by the Operator / Contractor.”

परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०-य०पी० के उक्त पत्र दिनांक 01.01.2020 के क्रम संख्या-६ (Cost of testing of effluent samples) को गठित अनुबंधों का भाग (**Part**) बनाया जाना होगा। अनुबंध का भाग बनने के पश्चात् ही उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सैम्प्ल में समस्त पैरामीटर्स के परीक्षण की दर की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही फर्म को भुगतान किया जाना संभव होगा। साथ ही इस पर भी निर्णय की आवश्यकता है कि यदि किसी एस०टी०पी० का एक पैरामीटर्स फेल है तो क्या समस्त पैरामीटर्स के भुगतान नहीं किये जायेंगे अथवा जो पैरामीटर्स फेल हैं सिर्फ उसका भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके लिये उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से संबंधित फर्म द्वारा मांगे जा रहे परीक्षण की दरों के औचित्य के संबंध में आख्या मांगी गयी है।

अतः परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०, उ०प्र० के पत्र संख्या-०९ / एस०एम०सी०जी० / ०३५८ /०१ दिनांक 01.01.2020 के बिन्दु संख्या-६ (Cost of testing of effluent samples) को गठित अनुबंधों का भाग (**Part**) बनाये जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (xviii) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में गाजियाबाद जोन (पैकेज-८) के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा दिसम्बर-2020 के बिल से रु० 1,60,88,207.82 मात्र की पूर्व में की गयी कटौती को अवमुक्त करने की संस्तुति की गयी थी। इस संबंध में सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद जोन के RA Bill No-1,2,3 & 4 से सीवर नेटवर्क हेतु कुल धनराशि रु० 1,60,88,207.82 की अधिक कटौती उ०प्र० जल निगम द्वारा की गयी थी परन्तु बिना सुस्पष्ट कर दी गयी। इस संबंध में ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा पत्र संख्या-२३३ / १२ / ३६८(8) दिनांक 07.10.2021 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम से सुस्पष्ट आख्या सहित पूर्व में रोकी गयी धनराशि को पुनः अवमुक्त किये जाने के कारणों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी आख्या प्रेषित की गयी। उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित आख्या एवम् संलग्न अभिलेखों का परीक्षण ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किया गया।

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर के सीवरेज कार्य के रखरखाव में सम्पूर्ण सीवर नेटवर्क का कार्य फर्म को एक बार में हस्तगत नहीं कराया गया था। सीवर नेटवर्क के रखरखाव हेतु सीवर लाइन को अलग-अलग फेज में फर्म को हस्तांतरित किया गया था। इस सम्बन्ध में अनुबंध के Volume-I के Section-IV “Conditions of Contract” के कलाज-२१.१ में निम्नानुसार व्याख्या की गयी है परन्तु सीवर लाइन हैण्ड ओवर के संबंध में व्याख्या नहीं हैः-

“In Case, any particular STP of zone is not handed over to contractor on date of signing of the agreement due to any reason, contract value shall be reduced of particular STP by an amount as distributed among the STPs of zone as per Condition of Contract, Section-IV, Clause 39 (I) payment certificates”.

अतः उक्त अनुरोध पर समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें।

समिति का निर्णयः— परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (xix) वन सिटी वन आपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बन्धित मैन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्कास्टवर तथा सीवर नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (पैकेज-4 लखनऊ जोन, पैकेज-6 आगरा जोन, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन, पैकेज-5 गोरखपुर जोन) हेतु सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबंध गठित कर कार्य कराया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार Contract Value के 10% की दर से Performance Security जमा कराया गया है।

मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, गुडगांव के पत्र संख्या-SIPL/RM/UPJN/551 Dt. 20.04.2022 मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन के पत्र संख्या-TWS/CV/22-23/SMCG Package-5/150 दिनांक 22.04.2022 एवं मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड आगरा/गाजियाबाद के पत्र संख्या क्रमशः-VATW/2021-22/OMM/AGRA/144 दिनांक 31.01.2022 व पत्र संख्या- VATW/2021-22/OMM/PKG-8/LKO/OMM/274 दिनांक 31.01.2022 द्वारा भारत सरकार के Office Memorandum संख्या-F. 9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Procurement Policy Division के संदर्भ में अनुबंध में जमा की गयी Performance Security (10% of contract value) को कम करके 3 प्रतिशत of the contract value करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता-ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया है कि Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Procurement Policy Division के Office Memorandum संख्या-F. 9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 के बिन्दु संख्या-2 एवं 3 के अनुसार कोविड महामारी के दृष्टिगत Performance Security को वर्तमान में प्रचलित 5-10% के स्थान पर 3% of the contract value वर्तमान में समर्त विद्यमान अनुबंधों के लिये लागू करने का निर्णय प्राप्त हुआ है।

उक्त Office Memorandum के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत समस्त टेण्डर/अनुबंध/गठित अनुबंध में भी 3% की दर से Performance Security जमा किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित अनुबंध संख्या 9/SGRCA/2017-18 (OM&M)/Package-4, Lucknow Zone, 9/SGRCA/2017-18 (OM&M)/Package-6, Agra Zone, 9/SGRCA/2017 -18 (OM&M)/Package-8, Ghaziabad Zone एवं 9/SGRCA/2017-18 (OM&M)/Package-5, Gorakhpur Zone में फर्म द्वारा 10% of contract value के अनुसार फर्म द्वारा जमा की गयी Performance Security को घटाकर 3% of the contract value के अनुसार जमा करने के सम्बन्ध में समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता-ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया गया कि कोविड-19 के फलस्वरूप समिति द्वारा दिनांक 27.11.2020 की बैठक में 67 दिनों का Extention प्रदान किया जा चुका है एवं लखनऊ नगर हेतु उ०प्र० जल निगम की संस्तुति उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर भुगतान भी किया जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.03.2023 तक ही प्रभावी है। उपरोक्त परिषेक्ष्य में Security Performance Reduce करने पर समिति सूचियारित निर्णय लेना चाहें।

समिति का निर्णय:- परिचर्चा नहीं हो सकी।

एजेन्डा (xx) उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-05 के शासनादेश संख्या-503/नौ-01 सिटी-01, दिनांक 03.02.2020 के द्वारा एस०एम०सी०जी० (राज्य स्वच्छ गंगा मिशन) के नवगठित नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन में हो जाने के कारण तथा राज्य स्तरीय अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धक (ओ०एम०एण्डएम०) निधि का वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किये जाने के कारण स्थानीय निकाय निदेशालय में ओ०एम०एण्डएम० सेल का गठन निम्नवत् किया गया है :

क्र.	पद नाम	पदों की संख्या	तैनाती का श्रोत	वर्तमान स्थिति
------	--------	----------------	-----------------	----------------

7

8

9

10

11

1	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	01	उ0प्र० पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा से स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धता के आधार पर	श्री मनीष कुमार सिंह, सम्बद्ध उ0प्र० पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा
2	अधिशासी / सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	उ0प्र० पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा से स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धता के आधार पर	श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता अपने वर्तमान कार्यों के साथ सम्बद्ध
3	सीवरेज एवं पेयजल विशेषज्ञ	01	आउटसोर्सिंग अथवा सम्बद्धता के आधार पर	श्री संजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त मु0अभि० (स्तर-1), उ0प्र० जल निगम (03 अगस्त-2022 तक)
4	सहायक निदेशक, लेखा	01	स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धता के आधार पर	श्री उपेन्द्र तिवारी, अपने वर्तमान अवंटित कार्यों के साथ
5	लेखाकार/सहा० लेखाकार	01	स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धता के आधार पर	श्री गौरव त्रिपाठी, अपने वर्तमान अवंटित कार्यों के साथ
6	कम्प्यूटर आपरेटर	02	आउटसोर्सिंग के आधार पर	रिक्त

श्री संजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त मु0अभि० (स्तर-1), उ0प्र० जल निगम, लखनऊ को शासनादेश संख्या-1532 / नौ-9-21-75ज / 21 दिनांक 04.08.2021 द्वारा कन्सल्टेन्ट के रूप में एक वर्ष के लिये आबद्ध किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 03.08.2022 को पूर्ण हो रही है जिसके फलस्वरूप श्री सिंह की आबद्धता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा इस हेतु सहमति श्री संजय कुमार सिंह द्वारा दी गयी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्री संजय कुमार सिंह की आबद्धता एक वर्ष बढ़ाये जाने के लिये शासन को अग्रसारित करने हेतु समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा जुलाई-2022 की प्रस्तावित बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

एजेन्डा (xxi) समिति के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बैठक के दौरान दी गयी अनुमति के अनुसार अन्य एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् रखें गये:-

अन्य एजेन्डा (xxi-i) मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० के प्रतिनिधि श्री अखिलेश द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी फर्म को जो मासिक भुगतान किया जा रहा है वह एस्क्रो एकाउंट में निर्धारित धनराशि से भी कम है जिसके कारण गोरखपुर जोन (ऐकेज-5) के कार्यों के सम्पादन में वित्तीय कठिनाई आ रही है जिसके कारण विगत दिनांक 14.12.2021 की बैठक में अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र० शासन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं परन्तु अंतिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही श्री अखिलेश द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा यह मत दिया कि चूंकि उनका स्थानान्तरण अन्य विभाग में हो गया है इसलिए प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र० शासन द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जायेगा तो उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

समिति का निर्णय:- अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग निर्देश दिया गया कि श्री अनुराग यादव, सचिव, कृषि, उ0प्र० शासन (तत्कालीन सचिव, नगर विकास विभाग) को उक्त रिपोर्ट प्रेषित करने के लिये अनुरोध करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-श्री आर०के० पंकज, अधी०अभि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) उक्त कमेटी के सदस्य सचिव/ओ०एम०एण्ड एम० सेल)


अन्य एजेन्डा (xxi-ii) अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह एक आंतरिक बैठक आयोजित की जाये जिसमें समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को फर्मो द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवम् कराये गये कार्यों से सम्बन्धित मासिक बिल के भुगतान हेतु समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम-नगरीय/सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम-नगरीय/ओ०एम०एण्ड एम० सेल)

अन्य एजेन्डा (xxi-iii) अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर योजना लागू होने से पूर्व एवम् उसके पश्चात् विभिन्न मदों में होने वाले व्यय का तुलनात्मक विवरण तैयार कर जुलाई माह की प्रस्तावित बैठक में प्रस्तुत किया जाए जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त योजना कितनी लाभकारी सिद्ध हुयी है।

(कार्यवाही:-प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम-नगरीय/सम्बन्धित नगर आयुक्त/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम-नगरीय/संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल एवम् ओ०एम०एण्ड एम० सेल)


सदस्य-सचिव
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश


सदस्य
उप/सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ


सदस्य-सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


सदस्य
निदेशक नगरीय निकाय
निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ


सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ


अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन